UPMO010037722020

न्यायालय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/जिला न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी– सै0 माऊज़ बिन आसिम, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP-1895

<u>नियमित सिविल अपील संख्या–51/2020</u>

अमित कुमार पुत्र श्री जयदित्य शर्मा, निवासी बी–14 वार्ड सं0–10, नई बस्ती, थाना कोतवाली, जिला बिजनौर, उ0प्र0।

...........अपीलार्थी।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी0जी0सी0(सिविल), मुरादाबाद।
2. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, बिजनौर, उ0प्र0।
3. अभिहित अधिकारी, कार्यालय जिलाधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, बिजनौर, उ0प्र0।

.......प्रत्यर्थीगण।

<u>निर्णय</u>

1. अपीलार्थी/खाद्य कारोबारकर्ता ने प्रश्नगत सिविल अपील खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (जिसे आगे की धाराओं में अधिनियम के नाम से सम्बोधित किया गया है) की धारा–70 के अन्तर्गत न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बिजनौर द्वारा वाद संख्या–01060/2019, सरकार बनाम अमित कुमार में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांकित 10.02.2020 के विरूद्ध योजित की है।

2. <u>मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि</u>– खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जनपद बिजनौर ने अभिहित अधिकारी, जनपद बिजनौर से नियमानुसार अधिनियम की धारा–36(ई) में अनुमति प्राप्त कर न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (रा0), बिजनौर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि, उसने दिनाक 02.08.2017 को समय लगभग 01.20 पी0एम0 बजे दिन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बिजनौर की हैसियत से स्थान जजी चौक मण्डावर रोड, बिजनौर में खाद्य कारोबारकर्ता अमित कुमार पुत्र जयदित्य शर्मा, निवासी

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.03.26 16:17:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बी–14 वार्ड नं0–10, नई बस्ती, बिजनौर का निरीक्षण अपना पद व नाम का परिचय देने के उपरान के उपरान्त किया। उक्त खाद्य कारोबारकर्ता के पास मौके पर 50 पैकिट स्पेशल सोन पापड़ी विक्रय हेतु भण्डारित थी। विक्रयार्थ भण्डारित स्पेशल सोन पापड़ी में मिलावट का संदेह होने पर उसने 04 पैकिट स्पेशल सोन पापड़ी रूपये 400/– मौके पर देकर खरीदा और खाद्य कारोबारकर्ता से मूल्य प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर कराये। मौके पर ही खाद्य कारोबारकर्ता को प्रारूप–5क पर सूचना दी कि, उक्त स्पेशल सोनपापड़ी की जांब खाद्य विश्लेषक उ0प्र0 गोरखपुर से कराई जायेगी तथा प्रारूप–5क की दूसरी प्रति पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर कराये। उक्त क्रय कि गयी स्पेशल सोनपापड़ी को चार बराबर भागों में बांटकर नियमानुसार सील बन्द किया तथा अभिहित अधिकारी, बिजनौर की हस्ताक्षर युक्त कोड स्लिप संख्या बीजे–269/2017/टी0बी0एस0 को चिपकाकर नियमानुसार सील कर खाद्य कारोबारकर्ता से उस पर हस्ताक्षर करवाये। जब उसने खाद्य कारोबारकर्ता से निर्धारित शुल्क अदा कर एन0ए0बी0एल0 द्वारा प्रमाणित प्रत्यायित प्रयोगशाला द्वारा जांच करवाने हेतु कहा, तो उसने इन्कार कर दिया। मौके का स्थानीय लेख तैयार किया और खाद्य कारेबारकर्ता एवं गवाहों को पढ़कर सुनाया। मौके पर उपस्थित जनता के लोगों से गवाही के लिये कहा, तो उन्होंने अपना नाम पता बताने से इन्कार कर दिया। प्रपत्र–6 की आठ प्रतियां तैयार कर उन पर नमूना सील छाप अंकित किया, जिसके द्वारा नमूना सील मोहर किया गया था। नमूने के प्रथम भाग को खाद्य विश्लेषक, गोरखपुर को डाक पार्सल संख्या–ACU1130460301N दिनांक 03.08.2017 द्वारा विश्लेषण हेतु भेजा तथा पृथक से प्रपत्र–6 की एक प्रति डाक रसीद संख्या–ARU705488068IN दिनांक 03.08.2017 के द्वारा भेजा। नमूना के द्वितीय एवं तृतीय भाग को एक सील बन्द पोली पैकिट में मय प्रपत्र–6 की दो प्रतियों सहित तथा नमूने के चौथे भाग को अलग से एक पोली पैकिट में मय प्रपत्र–6 की एक प्रति के साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यलय, बिजनौर में खाद्य लिपिक को दिनांक 04.08.2017 को प्राप्त कराया। खाद्य विश्लेषक, उ0प्र0 गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट संख्या–जी–1049 दिनांकित 21.08.2017 के अनुसार उपरोक्त नमूने को

मिथ्या छाप पाया तथा विश्लेषक द्वारा नमूने के संबंध में इस आशय की राय दी गयी है कि, " Manufacturer has not declared, complete manufacturer address, which is violation of regulation no. 2.2.2(6) of FSS (P&L.) Regulation 2011. Hence the sample is misbranded.'' इस प्रकार खाद्य कारोबारकर्ता ने मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ का कारोबार करके खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा–3(1)(zf) व 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो इसी अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत दण्डनीय है। उक्त आधारों पर खाद्य कारोबारकर्ता को दण्डित करने की याचना की गयी।

3. न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्र0), बिजनौर द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए खाद्य कारोबारकर्ता को दिनांक 17.06.2019 को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया कि, दिनांक 02.08.2017 को समय 01:20 ए0एम0 पर स्थान जजी चौक मण्डावर रोड, बिजनौर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बिजनौर द्वारा आपके प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया था तथा निरीक्षण के दौरान आपके प्रतिष्ठान पर विक्रयार्थ भण्डारित स्पेशल सोन पापड़ी में मिलावट का सन्देह होने पर स्पेशल सोनपापड़ी का नमूना लेकर जांच हेतु उक्त नमूने को खाद्य विश्लेषक, उ0प्र0 गोरखपुर भेजा गया था। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त स्पेशल सोनपापड़ी का नमूना मिथ्या छाप पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा–3(1)(zf) व 26(2)(ii) का उल्लंघन है तथा उक्त अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय है। आप दिनांक 05.07.2019 को न्यायालय में उपस्थित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

4. उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में खाद्य कारोबारकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था कि, प्रार्थी को दिया गया कारण बताओ नोटिस दिनांक 17.06.2019 सरासर गलत, बेबुनियाद, झूठे एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित है, विधि विरूद्ध है, खण्डित होने योग्य है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बिजनौर द्वारा दिनांक 02.08.2017 समय 01:20 पी०एम० स्थान जजी चौक मंडावर रोड, बिजनौर पर प्रार्थी से चार पैकिट स्पेशल सोनपापड़ी कथित नूमना संख्या–बी०जे०–269/2017 टी०बी०एस० लिया जाना दिखाया है तथा

प्रार्थी को न्यायालय द्वारा नोटिस दिनांक 17.06.2019 को दिया गया है, प्रार्थी को दिया गया उक्त नोटिस टाईमबार्ड है तथा धारा–77 एफ०एस०एस०एक्ट से बाधित होने के कारण खण्डित होने योग्य है, फार्म व रसीद पर व अन्य कागजात पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं न ही प्रार्थी के यहाँ से नियमानुसार नमूना लिया गया है, इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने धारा–37(2) एफ०एस०एस०एक्ट, 2006 का उल्लंघन किया है तथा साथ ही साथ उक्त एक्ट की धारा–28 (1)ए, 38(3), 38(7) का भी उल्लंघन किया है, इन सभी कानूनी औपचारिकताओं की परवाह न करते हुये प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है, जो विधि–सम्मत नही है, इसलिये प्रार्थी को दिया गया नोटिस खण्डित होने योग्य है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बिजनौर ने प्रतिवादी से चार पैकिट स्पेशल सोनपापड़ी कथित नूमना संख्या–बी0जे0 269/2017 टी०बी०एस० लिया जाना दर्शाया है, प्रार्थी उक्त कथित नमूने का निर्माता एवं मालिक नही है, बल्कि उक्त स्पेशल सोनपापड़ी सील्डपैक्ड कथित नूमने के मालिक एंव निर्माता चतुर्वेदी फूड प्रोडेक्टस, नगीना रोड नजीबाबाद–246763 कस्टमर केयर नं०–01341231640, 9927028255 हैं, प्रार्थी/प्रतिवादी को उक्त वाद में गलत पक्षकार बनाया गया है तथा धारा–78 एफ०एस०एस०एक्ट, 2006 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये उक्त कथित नमूने के मालिक एवं निर्माता चतुर्वेदी फूड प्रोडेक्टस नगीना रोड, नजीबाबाद को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिये दावा त्रुटिपूर्ण, अवैधानिक है और खण्डित होने योग्य है, खाद्य निरीक्षक द्वारा कथित नमूना दिनांक 02.08.2017 को लिया जाना दिखाया है तथा उक्त कथित नमूने के संबंध मे दिनांक 21.08.2017 को गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) लैब से रिपोर्ट संख्या–जी–1049 आयी है, जॉच रिपोर्ट में उक्त कथित नूमने में कोई मिलावट नहीं पायी गयी है, बल्कि उक्त कथित नमूना सील्ड पैकड पर निर्माण का पता अंकित नहीं होना बताकर मिसब्रान्ड होना बताया गया है, जबकि उक्त कथित नमूना सील्ड पैक्ड पर उक्त कथित नमूने के मालिक एवं निर्माता का पता चतुर्वेदी फूड प्रोडेक्टस नगीना रोड, नजीबाबाद–246763 अंकित है, यहाँ काबिले गौर है कि, प्रार्थी उक्त कथित नमूने का मालिक एवं निर्माता नहीं है, मात्र साधारण दुकानदार है, इसलिये जो भी कानूनी दायित्व बनता है, वह उक्त कथित नमूने के मालिक एंव

निर्माता उपरोक्त का बनता है, इसलिये भी प्रार्थी को दिया गया नोटिस विधि–विरूद्ध है खण्डित होने योग्य है, उक्त चार पैकिट स्पेशल सोनपापड़ी कथित नूमना संख्या–बी० जे० 269/2017 टी०बी०एस० के मालिक एंव निर्माता चतुर्वेदी फूड प्रोडेक्टस नगीना रोड, नजीबाबाद–246763 को पक्षकार बनाते हुये नोटिस जारी किया जाना एवं उनका जबाव तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, प्रार्थी निर्दोष है, इसलिये प्रार्थी को दिया गया नोटिस विधि विरूद्ध है और खण्डित होने योग्य है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट एवं गोरखपुर लैब से आयी रिपोर्ट दिनांक 21.08.2017 में विधि के अनुसार अपनायी जाने वाली जाँच प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा न्यायालय में सिद्ध नहीं कराया गया है, इसलिये उक्त लैब रिपोर्ट साक्ष्य में पठनीय नही है, इसलिये भी प्रार्थी को दिया गया नोटिस खण्डित होने योग्य है, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जनपद बिजनौर द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु संबंधित कागजातों की स्कूटनी करने पर अनियमित्ता बरती गयी है और धारा–36(ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरूपयोग करते हुये पत्रांक–188(1) एफ०एस०डी०ए०/नोटिस 2018–19 दिनांक 26.12.2018 को जारी किया जाना दर्शाया है तथा प्रार्थी को कोई सूचना अपील दायर करने के संबंध में नहीं दी गयी, प्रार्थी को एवं कथित नमूने के मालिक व निर्माता उपरोक्त को अपील किये जाने से वंचित किया गया है, इसलिये भी प्रार्थी को दिया गया नोटिस डिफेक्टिव है और खण्डित होने योग्य है, प्रार्थी पर संस्थित मुकदमा नियमों के विरूद्ध है, कोई निष्पक्ष जाँच उक्त प्रकरण के संबंध में नहीं करायी गयी तथा प्रार्थी के विरूद्ध गैर कानूनी तरीके से न्यायालय में वाद योजित किया गया है, प्रार्थी को दिया गया कारण बताओ नोटिस नियम–3.1.2(2) एफ०एस०एस० नियमावली के अधीन न्यायहित में खण्डित किये जाने योग्य है, प्रार्थना है कि, उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर उक्त कथित नमूना चार पैकिट स्पेशल सोनपापड़ी संख्या–बी0जे0 269/2017 टी०बी०एस० के मालिक एवं निर्माता चतुर्वेदी फूड प्रोडेक्टस नगीना रोड, नजीबाबाद–246763 कस्टमर केयर नं० 01341231640, 9927028255 को पक्षकार कायम करते हुये प्रार्थी/प्रतिवादी की आपत्ति को स्वीकार करते हुये प्रार्थी को दोषमुक्त किया जाकर प्रार्थी को दिया गया नोटिस खण्डित किये जाने के आदेश

प्रदान किये जावे। उपरोक्त आधारों पर कारण बताओ नोटिस निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. प्रश्नगत निर्णय के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि, न्याय निर्णायक अधिकारी ने पक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने के उपरान्त प्रश्नगत आदेश दिनांकित 10.02.2020 के माध्यम से अपीलार्थी पर अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत अंकन 50,000/–रूपये की शास्ति अधिरोपित की है और शास्ति अदा न करने पर, शास्ति की धनराशि की वसूलयाबी की कार्यवाही भू–राजस्व की भांति अमल में लाये जाने हेतु निर्देशित किया है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की गयी है।

6. संक्षेप में अपील के आधार इस प्रकार हैं कि– न्याय निर्णायक अधिकारी, बिजनौर द्वारा प्रस्तुत अपीलार्थी के पक्ष को नजर अन्दाज करके प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.02.2020 पारित किया गया, जो कि कानूनी रूप से निरस्त होने योग्य है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2011 के नियम–2.4.1(1)(2)(4) के अनुसार दिनांक 02.08.2017 को चार पैकेट सोनपापड़ी, जो कि सीलबन्द था, का नमूना लेते समय कम से कम दो साक्षियों को बुलाया जाना अति आवश्यक था और धारा–2 के अर्न्तगत उस पर हस्ताक्षर उन साक्षियों के होने चाहिये व (4) खाद्य कारोबारकर्ता अगर यह बताता है, कि उसने इस उत्पाद को किसी अन्य व्यक्ति, जो इसका विनिर्माता है, की सूचना देता है, वह उस विनिर्माता को इस सम्बन्ध में सूचना दी जायेगी, जिसका उक्त धाराओं में प्रावधान है, लेकिन पत्रावली पर अभियोजन ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, खाद्य विश्लेषण कराने के बाबत कोई लिखित सूचना खाद्य निरीक्षक ने अपीलार्थी को नहीं दी, इस प्रकार अधिनियम की धारा–47(1) का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही जनता के गवाहान को बुलाया गया और न ही उनके हस्ताक्षर कराये गये हैं, अपीलार्थी को दिया गया नोटिस दिनांक 17.06.2019 टाईम बार्ड है तथा धारा–77 एफ0एस0एस0 एक्ट से बाधित है, अभियोजन ने नोटिस दिनांक 17.06.2019 को लगभग 22 माह बाद सोची–समझी साजिश के तहत दिया गया है, जो कतई गलत है, जबकि अपीलार्थी की दुकान से दिनांक 02.08.2017 को चार पैकेट सोनपापड़ी का सैम्पिल लेना दिखाया है और नोटिस

दिनांक 17.06.2019 को दिया गया है, अपीलार्थी न ही भण्डारित स्पेशल सोनपापड़ी का विनिर्माता है और न ही उसने इसमें किसी प्रकार की मिलावट की है, बल्कि अपीलार्थी ने उक्त स्पेशल सोनपापड़ी ''चतुर्वेदी फूड प्रोडक्ट नगीना रोड, नजीबाबाद–246763'' से खरीदी है, जिस प्रकार उक्त सोन पापड़ी के पैकेट मिले थे, उसी स्थिति में बेचे गये हैं और हरगिज भी उपरोक्त सोन पापड़ी को मिसब्राण्ड नहीं किया गया है, जिसका रेपर अपीलार्थी दाखिल कर रहा है, खाद्य सुरक्षा व मानक नियम, 2011 के नियम–2.4.1 की धारा–(4) के अन्तर्गत जब अपीलार्थी ने खाद्य अधिकारी को यह स्पष्ट कर दिया था कि, वह उपरोक्त सोनपापड़ी का विनिर्माता नहीं है, बल्कि अपीलार्थी ने उक्त सोनपापड़ी ''चतुर्वेदी फूड प्रोडक्ट नगीना रोड, नजीबाबाद, उ0प्र0 से खरीदी है, तब ऐसी परिस्थिति में चुतर्वेदी प्रोडक्ट को उक्त अधिकारी द्वारा इस नियम के अनुसार सूचना देनी चाहिए थी और न्याय निर्णायक अधिकारी, बिजनौर को इसे उक्त वाद में पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, इस प्रकार घोर अनियमितताएं बरती गयी हैं और उक्त बातों को नजरंदाज करते हुए अपीलार्थी को 50,000/–रूपये आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है, जो कि कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है, अपीलार्थी उक्त सोनपापड़ी का विनिर्माता नहीं है, बल्कि एक छोटी सी चाय की दुकान को चलाकर अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करता है, विपक्षी द्वारा जो निरीक्षण के दौरान चार पैकेट सैम्पिल स्पेशल सोनपापड़ी कथित नमूना संख्या–बी0जे0–269/2017 टीबीएस लिया जाना दर्शाया गया है, वह अपीलार्थी के नहीं है, अपीलार्थी की दुकान मैसर्स भोला मिष्ठान, जज चौक, मण्डावर रोड, बिजनौर, नगर पालिका, बिजनौर, उ0प्र0 के नाम से पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण संख्या–22719890000056 है, अपीलार्थी उक्त स्पेशल सोनपापड़ी बाजार से खरीदकर बेचता है, न्याय निर्णायक अधिकारी, बिजनौर का आदेश दिनांक 10.02.2020 विधि–विरूद्ध है, कोई निष्पक्ष जांच नहीं करायी गयी है, बल्कि जानबूझकर अपीलार्थी के विरूद्ध गैर कानूनी रूप से न्यायालय में वाद योजित कर पचास हजार रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांकित 10.02.2020 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

7. <u>दौरान बहस अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता</u> द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किये गये कि, अपीलार्थी गरीब व्यक्ति है और चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन–पोषण करता है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की दुकान से सोन पापड़ी के सील्ड पैक, जो सैम्पल लिये गये थे, उस पर निर्माता कम्पनी का नाम आदि विवरण अंकित है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार नमूने को इस आधार पर मिथ्या छाप माना है कि, निर्माता द्वारा रैपर पर पूर्ण पता अंकित नहीं किया गया है, परन्तु सम्पूर्ण रिपोर्ट में इस आशय का कोई कथन अंकित नहीं है कि, पूर्ण पते से खाद्य विश्लेषक का क्या आशय है, विशेषकर उस स्थिति में, जब सैम्पल पर ''manufactured by Chaturvedi Food product Nagina road Najibabad 246763 are declared.'' अंकित है, परन्तु इसके बावजूद भी अपीलार्थी उपरोक्त अपील में वर्णित तथ्यों को गुण–दोष के आधार पर निस्तारित नहीं कराना चाहता है, उक्त अपील धारा–49 की परिधि में आती है, न्यायहित में उपरोक्त अपील को कम से कम अर्थदण्ड पर निस्तारित करने की कृपा करें, जिस बाबत अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र–25ग भी प्रस्तुत किया है।

8. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) ने दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया कि, यह बात सही है कि, नमूने के रैपर पर निर्माता का पूर्ण पता अंकित है तथा रैपर पर पिन कोड नम्बर भी अभिलिखित है, इसके अतिरिक्त जब खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार सील्ड नमूने पर निर्माता का नाम व पता अभिलिखित था, तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ के निर्माता को भी वाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए थी, विशेषकर उस स्थिति में, जब नमूने के मिथ्या छाप होने का सीधा सम्बन्ध खाद्य निर्माता से है। इसके अतिरिक्त यह बात भी सही है कि, विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश में अधिनियम की धारा–49 के प्रावधानों को विचारण में लेते हुए निर्णय पारित नहीं किया है। उक्त आधारों पर अपील को निस्तारित किये जाने की याचना की गयी।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) को विस्तार से सुना तथा पत्रावली व अन्य सुसंगत प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

10. अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के

परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत मामले में विनिश्चायक बिन्दु यह उभरकर आता है कि, क्या विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत अधिरोपित शास्ति विधि–सम्मत है अथवा नहीं?

11. प्रश्नगत आदेश में अधिरोपित शास्ति के सम्बन्ध में गुण–दोष पर विवेचना किये जाने से पूर्व प्रश्नगत अपील से सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं का उल्लेख किया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है।

12. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–3(1)(zf) के अनुसार–<u>मिथ्या छाप वाला खाद्य</u>– से कोई खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है–

(अ) यदि वह–

(i)(क) पैकेज के लेबल के ऊपर, या

(ख) विज्ञापन के द्वारा,

मिथ्या, भ्रामक या प्रबन्ध दावे के साथ विक्रय के लिए प्रस्थापित किए जाने या संवर्धित किए जाने, या

(ii) ऐसे नाम से, जो किसी अन्य खाद्य पदार्थ का है, विक्रय किए जाने, या

(iii) पदार्थ के विनिर्माता या उत्पादक के रूप में किसी कल्पित व्यष्टि या कम्पनी के नाम से जो पदार्थ वाले पैकेज पर लिखा है या पैकेज पर लेबल लगा है, विक्रय के लिए प्रस्थापित या संवर्धित करने के लिए तात्पर्यित है या प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्थापित या संवर्धित किया जा रहा है।

(आ) यदि पदार्थ ऐसे पैकेजों में विक्रय किया जाता है जो विनिर्माता या उत्पादक के द्वारा या उसके कहने पर मोहरबन्द या तैयार किए गए हैं और जिन पर उसका नाम और पता है किन्तु –

(i) वह किसी अन्य खाद्य पदार्थ की, जिसके नाम से उसका विक्रय किया जाता है, नकल है, या उसके स्थान पर प्रतिस्थापित है या उससे इस प्रकार मिलता–जुलता है कि धोखा हो जाए और उस पर उसका असली रूप उपदर्शित करने के लिए स्पष्ट और सहजदृश्य रूप से लेबल नहीं लगाया गया है; या

(ii) पदार्थ वाले पैकेज या पैकेज पर लेबल में उसमें अन्तर्विष्ट संघटकों या तत्वों के बारे में कोई ऐसा कथन, डिजाइन या अभिलक्षण है

जो किसी सारवान् विशिष्टि में मिथ्या या भुलावा देने वाली है, या यदि पैकेज अपनों अन्तर्वस्तुओं के बारे में अन्यथा धोखा देने वाला है;

(iii) किसी स्थान या देश के उत्पाद के रूप में जिस पदार्थ की विक्रय के लिए प्रस्थापना की गई है, वह मिथ्या है; या

(इ) यदि पैकेज में अन्तर्विष्ट पदार्थ–

(प) कोई कृत्रिम सुरुचिकारक, कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी से युक्त है और पैकेज उस तथ्य का कथन करने वाला घोषणात्मक लेबल नहीं लगा है या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उस पर लेबल नहीं लगाया गया है या उसके उल्लंघन में है; या

(ii) विशेष आहार उपयोगों के लिए विक्रय के लिए प्रस्थापित किया गया है जब तक कि उसके लेबल पर उसके विटामिन, खनिज या अन्य आहार तत्वों के बारे में ऐसी जानकारी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे उपयोग के लिए उसके गुणों के बारे में उसके क्रेता का पर्याप्त रूप से सूचित करने के लिए उसके लेबल में नहीं दी गई है; या

(iii) उसके बाहर उसके बारे में सहजदृश्य रूप से या सही रूप से कथित नहीं है कि वह इस अधिनियम के अधीन अधिकथित परिवर्तिता की सीमाओं के भीतर हैं।''

13. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–26 के अनुसार– <u>खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्व</u>– (1) प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि, खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार के भीतर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों पर पूरा करती है।

(2) कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता ऐसी किसी खाद्य वस्तु का–

(i) जो असुरक्षित है; या

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हैं;

(iii) जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार के सिवाय, या

(iv) जो तत्समय खाद्य प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या

राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य के हित में प्रतिषिद्ध है, या

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबन्ध के उल्लंघन में, स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा।

14. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–49 के अनुसार– <u>शास्ति से सम्बन्धित साधारण उपबन्ध</u>– ''जब इस अध्याय के अधीन शास्ति की मात्रा का न्याय निणर्यन करते समय, यथास्थिति, न्याय निर्णायक अधिकारी या अधिकरण, निम्नलिखित का सम्यक ध्यान रखेगा–

(क) उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुए अभिलाभ या अनुचित लाभ की रकम, जहां भी निर्धारणीय हो,

(ख) उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कारित हानि या ऐसी हानि जिसके होने की संभावना है, की रकम,

(ग) उल्लंघन की पुनरावृत्ति की प्रकृति,

(घ) चाहे उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया है, और

(ङ) कोई अन्य सुसंगत कारक।''

15. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–52 के अनुसार– <u>मिथ्या छाप वाले खाद्य के लिए शास्ति</u>– (i) कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य वस्तु का, जो मिथ्या छाप की है, मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भण्डारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है, शास्ति का, जो तीन लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।''

16. इस स्तर पर उल्लेखनीय है कि, अपीलार्थी/खाद्य कारोबारकर्ता ने प्रार्थनापत्र कागज संख्या–25ग इस आशय का प्रस्तुत किया है कि, वह गरीब व्यक्ति है और चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन–पोषण करता है, वह उपरोक्त अपील में वर्णित तथ्यों को गुण–दोष के आधार पर निस्तारित नहीं कराना चाहता है, उक्त अपील धारा–49 की परिधि में आती है, न्यायहित में उपरोक्त अपील को कम से कम

जुर्माना/अर्थदण्ड पर निस्तारित करने की कृपा करें। ऐसी स्थिति में न्यायालय को केवल विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शास्ति की वैधानिकता पर ही विचार करना है।

17. इस सम्बन्ध में उल्लेखीय है कि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 02.08.2017 को अपीलार्थी के प्रतिष्ठान से जांच हेतु लिये गये स्पेशल सोन पापड़ी के सीलड पैकेट के नमूने को परीक्षण हेतु खाद्य विश्लेषण कार्यालय, गोरखपुर प्रेषित किया था, पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक जांच आख्या कागज संख्या–3/10 के अनुसार अपीलार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये नमूने के पैकेट पर निर्माता द्वारा अपना पूर्ण पता घोषित न किये जाने के कारण, उक्त नमूने को मिथ्या छाप होना बताया गया है, जिसके आधार पर न्याय निर्णायक अधिकारी ने अपीलार्थी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा–52 के अन्तर्गत दण्डित किया है।

18. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि, पक्षों के मध्य यह तथ्य निर्विवादित है कि दिनांक 02.08.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला बिजनौर द्वारा अपीलार्थी की दुकान से स्पेशल सोन पापड़ी के चार पैकेट नमूना संख्या–बी0जे0–269/2017–टी0बी0एस0 परीक्षण हेतु संग्रहित किया गया था तथा संग्रहित नमूना परीक्षण हेतु खाद्य विश्लेषक कार्यालय, गोरखपुर प्रेषित किया गया था। खाद्य विश्लेषक द्वारा अपीलार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये सोन पापड़ी के नमूने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम–2.2.2(6) के तहत इस आधार पर मिथ्या छापा माना है कि, "Manufacturer has not declared, complete manufacturer address, which is violation of regulation no. 2.2.2(6) of FSS (P&L.) Regulation 2011. Hence the sample is misbranded." अर्थात खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में संग्रहित नमूने के खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी होना अंकित नहीं है, बल्कि खाद्य विश्लेषक ने लिये गये सोन पापड़ी के नमूने को इस आधार पर मिथ्या छाप माना है कि, सोन पापड़ी के पैकेट पर निर्माता द्वारा सम्पूर्ण पता अभिलिखित नहीं किया गया है, परन्तु खाद्य विश्लेषक को उक्त रिपोर्ट में लिये गये नमूने के पैकेट पर निम्नलिखित विवरण अभिलिखित होना स्वीकार है कि, "manufactured by Chaturvedi Food product Nagina road Najibabad 246763 are

declared.जिसका समर्थन पत्रावली पर उपलब्ध सीलड नमूने के रैपर पर अभिलिखित खाद्य निर्माता ''चतुर्वेदी फूड प्रोडक्ट नगीना रोड, नजीबाबाद–246763, से भी होता है, परन्तु खाद्य विश्लेषक ने अपनी सम्पूर्ण रिपोर्ट में इस आशय का कोई कथन अंकित नहीं किया है कि, सोन पापड़ी के पैकेट पर निर्माता का सम्पूर्ण पता अभिलिखित न होने से उनका क्या आशय है? विशेषकर उस स्थिति में, जब नमूने पर निर्माता का पता नगीना रोड, नजीबाबाद अंकित है तथा नमूने पर क्षेत्र का पिन कोड नम्बर भी अंकित है। विचारण न्यायालय ने भी प्रश्नगत निर्णय में इस आशय का कोई आधार अंकित नहीं किया है कि, नमूने पर अभिलिखित पते में ऐसी क्या कमी है, जिसके आधार पर नमूने पर अभिलिखित निर्माता के पते को अधूरे पते की संज्ञा दी जा सके।

19. इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रतिष्ठान से सीलड पैक्ड सोन पापड़ी के नमूनों को एकत्रित किया गया था और विश्लेषक ने एकत्रित नमूने को मात्र इस आधार पर मिथ्या छाप मान है कि, नमूने पर निर्माता का पूर्ण पता अभिलिखित नहीं है, अर्थात प्रश्नगत कार्यवाही का जो भी आधार है, वह मात्र निर्माता द्वारा सीलड नमूने पर अभिलिखित विवरण है, जिसका सीधा सम्बन्ध अपीलार्थी/विक्रेता से नहीं है, बल्कि खाद्य निर्माता से है। अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति में स्पष्ट रूप से खाद्य पदार्थ के निर्माता का पता अभिलिखित करते हुए उसे मामले में पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किया था, परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना किसी उचित आधार के अपीलार्थी के उपरोक्त अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया और बिना विचार किये ही प्रश्नगत निर्णय पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि, यदि कोई व्यक्ति किसी निर्मित खाद्य पदार्थ को अपने प्रतिष्ठान पर विक्रय करता है, तो सामान्य रूप से उसे एक निश्चित मात्रा में ही खाद्य पदार्थ के विक्रय से लाभ प्राप्त होता है और खाद्य पदार्थ के विक्रय किये जाने से मूल लाभ विनिर्माता को प्राप्त होता है। इसी कारण उपरोक्त सोन पापड़ी की बिक्री का मुख्य लाभार्थी सोन पापड़ी का विनिर्माता है, न कि अपीलार्थी, परन्तु इसके बावजूद खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सोन पापड़ी के मुख्य विनिर्माता के विरूद्ध कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा

अधिकारी द्वारा पत्रावली पर अपीलार्थी की आय–व्यय सम्बन्धी कोई विवरण, अर्थात बैलेंस शीट आदि दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अपीलार्थी को प्राप्त होने वाले आंशिक अभिलाभ का निर्धारण किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत निर्णय में विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का भी कोई उल्लेख अंकित किया है कि, कथित नमूना मिथ्या छाप होने के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा कितना अभिलाभ या अनुचित अभिलाभ प्राप्त किया गया अथवा अभिलाभ निर्धारणीय है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत निर्णय में इस तथ्य का भी कोई उल्लेख अंकित नहीं है कि, अपीलार्थी द्वारा विक्रीत स्पेशल सोन पापड़ी के क्रय किये जाने से किन–किन व्यक्तियों को कितने धन की हानि कारित हुई अथवा हानि कारित होने की सम्भावना थी। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत निर्णय में इस तथ्य का भी कोई उल्लेख अंकित नहीं है कि, क्या अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं? इसके अतिरिक्त प्रश्नगत निर्णय में इस तथ्य का भी कोई उल्लेख अंकित नहीं है कि, अपीलार्थी ने प्रश्नगत उल्लंघन जानते–बूझते किया है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय में उन आधारों का कोई उल्लेख नहीं किया है, जिन तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत शास्ति अधिरोपित की है।

20. अतः प्रश्नगत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के मद्देनजर न्यायालय इस मत की है कि, विचारण न्यायालय ने अधिनियम की धारा–49 में वर्णित आधारों को नजरंदाज करते हुए बिना किसी उचित आधार के अपीलार्थी पर मुबलिग 50,000/–रूपये की शास्ति अधिरोपित करने में विधिक त्रुटि कारित की है, जिसको प्रश्नगत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के मद्देनजर संशोधित करते हुए कम किया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

(i) सिविल अपील नम्बरी–51/2020, अमित कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य आदि आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत पारित मुबलिग 50,000/–रूपये की शास्ति के निर्णय को संशोधित करते हुए अपीलार्थी पर मुबलिग 10,000/–रूपये (दस हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की

जाती है।

(ii) अपीलार्थी द्वारा अपील के अंगीकरण के स्तर पर न्यायालय में जमा की गयी शास्ति की धनराशि, उपरोक्त धनराशि में समायोजित की जायेगी।

(iii) अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि, वह प्रश्नगत निर्णय की दिनांक से एक माह के अन्दर शास्ति की धनराशि न्यायालय में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय–सीमा में शास्ति की धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो उससे उपरोक्त शास्ति की धनराशि की वसूलयाबी भू–राजस्व की भांति की जाये।

(iv) इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जाये। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि, अपील की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार करें।

दिनांकः 26–03–2026

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/
जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
J.O.Code No. UP-1895

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 26–03–2026

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/
जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
J.O.Code No. UP-1895

स्टेनो– राजीव कुमार।